22

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय के संबंध में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

बाईसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944 (शक)

बाईसवां प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' विषय के संबंध में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

9.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

9.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना	.....	(iv)
प्राक्कथन	.....	(v)
अध्याय- एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय- दो	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	8
अध्याय- तीन	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...	30
अध्याय- चार	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	31
अध्याय –पांच	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं	35

परिशिष्ट

(I)	समिति की दिनांक 09.11.2022 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश	36
(II)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	38

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2022-2023) की संरचना

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

लोकसभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
5. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
6. श्री जी.एस. बसवराज
7. सुश्री देबश्री चौधरी
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
10. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा
11. श्री खगेन मुर्मु
12. श्री मितेष पटेल(बकाभाई)
13. श्री सुब्रत पाठक
14. श्री जी. सेल्वम
15. डॉ. अमर सिंह
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्यसभा

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. डॉ. फौजिया खान
24. श्री बाबू राम निषाद
25. श्री राजमणि पटेल
26. श्री सकलदीप राजभर
27. डॉ. अंबुमणि रामादास
28. श्री सी. वी. षनमुगम
29. श्री हरभजन सिंह
30. सुश्री दोला सेन
31. रिक्त

लोक सभा सचिवालय

1.	श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	निदेशक
3.	डॉ. मोहित राजन	उप सचिव
4.	श्रीमती दर्शना गुलाटी खंडूजा	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ ।

2. अट्ठारहवां प्रतिवेदन दिनांक 22.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया । सरकार ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण दर्शाने वाले उत्तर 22 जून 2022 को प्रस्तुत किए ।

3. समिति ने 9 नवंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट II** में दिया गया है ।

5. संदर्भ की सुविधा हेतु, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2022
19 कार्तिक , 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 अट्ठारहवें प्रतिवेदन दिनांक 22.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में 18 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 18 सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इनका श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ**,** जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है **:**

पैरा सं. : 2.10, 2.12, 3.7, 3.15, 3.27, 3.34, 3.43, 4.15, 4.21, 4.26, 5.18, 5.22 और 5.23

(दो**)** सिफारिशें/टिप्पणियाँ**,** जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

पैरा सं. **:** 5.7

(तीन**)** सिफारिशें/टिप्पणियाँ**,** जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

पैरा सं. : 3.8, 3.25, 4.7

(चार**)** सिफारिशें/टिप्पणियाँ**,** जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं

पैरा सं. **:** 4.10

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण उसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किए जाएं।

1.4 अब, समिति सरकार द्वारा, कुछ सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

क. विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम के कार्यनिष्पादन समीक्षा की आवश्यकता

सिफारिश (क्र. सं. 4, पैरा सं. 3.8)

1.5 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति यह नोट करके निराश है कि यद्यपि विभाग के अनुरोध पर, नीति आयोग के अंतर्गत एक मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था ताकि वर्ष 2017 में डीसीपी स्कीम के निष्पादन मूल्यांकन को किया जा सके, अनेक अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद, आज की तिथि तक मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आर्थिक विकास संस्थान द्वारा गेहूं/धान के प्रापण के लिए भी केंद्रित प्रापण स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए इस मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए ताकि उपायुक्त मूल्यांकन कार्य पूरा हो सके और दोनों एजेंसियों को इसे देखना चाहिए ताकि इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर अपने संबंधित कार्य को पूरा किया जा सके और तदनुसार समिति को इससे अवगत कराया जाए।"

1.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वर्ष 2017 में डीसीपी स्कीम के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग को अध्ययन सौंपा गया था। चूंकि, इस मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी, वर्ष 2019 में सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग को एक अ.शा. पत्र भेजा गया था, परंतु नीति आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नीति आयोग को अंतिम पत्र मार्च, 2021 में भेजा गया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि अध्ययन को पूरा करने के पश्चात इस विभाग को यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, परंतु अभी तक नीति आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।"

1.7 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में गेहूं/धान की खरीद हेतु डीसीपी स्कीम का मूल्यांकन आर्थिक विकास संस्थान-नीति आयोग के अंतर्गत गठित मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति द्वारा मामले को उच्चतम स्तर पर उठाकर पूरा करने की इच्छा व्यक्त की है।अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने बताया कि मार्च, 2021 में नीति आयोग को लिखे उनके पत्र का आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है। समिति ने अपने मूल सिफारिश को दोहराते हुए यह इच्छा व्यक्त की कि इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि दोनों एजेंसियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन कार्य पूरा किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएं।

ख. राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

सिफारिश (क्र. सं. 6, पैरा सं. 3.25)

1.8 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:-

" समिति नोट करती है कि देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग कुल प्रतिशतता 93.8% है। मंत्रालय ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में आधार सीडिंग की प्रगति कम होने का कारण असम और मेघालय में कम आधार बनना है। समिति इस तथ्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राशन कार्ड के साथ आधार की सीडिंग के कार्य की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा क्रमशः 60%, 47%, 28%, और 80% सीडिंग का कार्य ही अभी पूरा हुआ है। समिति पूरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सीडिंग का कार्य 100% पूरा करना चाहिए। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग के मुददे को उच्चतम स्तर पर निपटा लेना चाहिए ताकि एक राष्ट्र 'एक राशन कार्ड स्कीम'का उद्देश्य पिछड़े राज्यों में सभी प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाने के कार्य को पूरा किया जा सके और गरीब लोग सरकार की कल्याणकारी स्कीमों के निर्वाध लाभों को प्राप्त कर सके।"

1.9 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वर्तमान में, राशन कार्डों की समस्त आधार सीडिंग (परिवार का कम से कम एक सदस्य) का राष्ट्रीय स्तर 94.4% तक पहुँच गया है। यह स्पष्ट किया गया है असम और मेघालय में राशन कार्ड की आधार सीडिंग में क्रमशः 81% और 35% का क्रमिक सुधार रिपोर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड की आधार सीडिंग क्रमशः 60% और 80% है। तथापि, राशन कार्ड डाटाबेस में आधार सीडिंग को बढ़ाने के लिए यह विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, विभाग ने पहले ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधार सीडिंग बढ़ाने और आधार संख्या को अधिप्रमाणित करने हेतु दिशानिर्देशों/बेहतर पद्धतियों को साझा किया है। इस मामले पर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है जो पिछड़ रहे हैं ताकि बैठकों, एडवाइज़री, पत्रों आदि के माध्यम से राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग को बढ़ाया जा सके।

विभाग के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्तमान में "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनआरसी)" योजना को कार्यान्वित किया है जिसमें लगभग 77 करोड़

एनएफएसए लाभार्थियों (एनएफएसए आबादी का 96.80%) को कवर किया गया है ताकि इस विकल्प का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा सके और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने खाद्यान्नों/लाभों को प्राप्त किया जा सके। यह विभाग असम राज्य के शेष भाग के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है जिससे अगले कुछ माह तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा को कार्यान्वित किया जा सके बशर्ते कि वे तकनीकी रूप से इसके लिए तैयार हों।"

1.10 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की धीमी गति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सिफारिश की है कि इन राज्यों में सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाना चाहिए। अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से मामले को उठाया जा रहा है तथा असम और मेघालय में क्रमश 28% से 35% और 47% से 81% तक उतरोत्तर सुधार देखा जा सकता है।तथापि, शेष दो राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश और असम में सुधार की स्थिति के बारे में विभाग मौन है। उपर्युक्त के आलोक में समिति की राय है कि इस संबंध में पर्याप्त सुधार करने हेतु ठोस/पुरजोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, समिति इस संबंध में की गई अपनी सिफारिश को दोहराती है।

ग. एफसीआई की बकाया देयताओं के शीघ्र भुगतान की आवश्यकता

सिफारिश (क्र. सं. 10, पैरा सं. 4.7)

1.11 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:-

"समिति चिंता के साथ नोट करती है कि भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के लिए एफसीआई द्वारा उनको प्रदान कराए गए खाद्यान्नों के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) की देय राशि बकाया है। समिति को यह बताया गया है कि 31.02.2008 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) स्कीम अर्थात जब स्कीम बंद हुई थी के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यानों के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम के भुगतान के लिए 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 2454.03 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम) के अंतर्गत आपूर्ति

किए गए खाद्यान्नों के शिक्षा मंत्रालय (एचआरडी) पर 350.42 करोड़ रुपये (03.12.2021 की स्थिति के अनुसार) बकाया है, जबकि भारत सरकार के अफगानिस्तान को दान दिए गए 'इंडियाज डोनेशन टू अफगानिस्तान' के तहत अफगानिस्तान के लिए फोर्टिफाइड बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के लिए गेहूं जारी करने हेतु विदेश मंत्रालय पर 56.46 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। समिति महसूस करती है कि वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के बकाया देयो के वसूली की असमर्थता भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा हमेशा बढ़ती खाद्य राजसहायता का भार रहेगा। अतः समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि विभाग को अन्य मंत्रालयों के साथ उच्चतम स्तर पर मामले को नियमित रूप से उठाने के लिए उच्चतर अधिकारियों का वसूली प्रकोष्ठ गठित करके बकाया देव का निपटान करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, ताकि बकाया देय की वसूली हो, जो निश्चित तौर पर भारतीय खाद्य निगम की देयता को कम करेगी।"

1.12 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मामले पर संबंधित मंत्रालयों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय (मानव संसाधन विकास) और विदेश मंत्रालय के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं का भुगतान किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं की समीक्षा और उसका शीघ्र भुगतान करने के लिए, संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई) की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के साथ दिनांक 04.06.2021 को वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। तदुपरांत, दिनांक 22.04.2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया गया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया जाए। तथापि, अभी इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों से जानकारी प्रतीक्षित है।"

1.13 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में पाया कि एफसीआई द्वारा लंबे समय से मुहैया कराए जा रहे खाद्यान्न के भुगतान हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2454.03 करोड़ रुपये, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 350.42 करोड़ रुपये और विदेश मंत्रालय द्वारा 56.46 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना बकाया था और समिति ने विभाग/भारतीय खाद्य निगम से अन्य मंत्रालयों के साथ उच्चतम स्तर पर मामले को नियमित रूप से उठाने के लिए उच्च अधिकारियों को शामिल करते हुए

'रिकवरी सेल' का गठन करके बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में उल्लेख किया कि मामले में तेजी लाने हेतु वरिष्ठ स्तर पर एक बैठक बुलाने के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिनांक 22.04.2022 को पत्र जारी किया गया था और संबंधित मंत्रालय से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। समिति ने यह नोट किया हैं कि लंबे समय से-कुछ मामलों में एक दशक से अधिक समय से भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने हेतु बड़ी राशि लंबित है- जिससे भारतीय खाद्य निगम की वित्तीय सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके गठित किए गए 'रिकवरी सेल' से भी मंत्रालयों से लंबित राशियों की वसूली पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। अत:, समिति बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी उपाय सुझाते हुए इस संबंध में की गई अपनी सिफारिशों को दोहराती है।

घ. भारतीय खाद्य निगम की संस्थापना लागत को कम करने की आवश्यकता

सिफारिश (क्र. सं. 11, पैरा सं. 4.10)

1.14 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत सिफारिश/टिप्पणी की थी:

"समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम की संस्थापना लागत जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रापण, परिवहन तथा खाद्य राजसहायता के तौर पर खाद्यान्नों के भंडारण पर खर्च हुए व्यय के साथ बहुत ज्यादा अर्थात 2430 करोड़ रुपये है जिसमें खाद्य राजसहायता के बड़े भाग के रूप में संस्थापना लागत को पूरा करने में जाती है। समिति भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना करती है ताकि इसकी जनशक्ति को औचित्यपूर्ण करके मानव संसाधन की प्रभावकारिता के अनुकूल बनाया जा सके। समिति को यह भी बताया गया है कि निगम के स्टाफिंग मानदंडो की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा की सिफारिशें कार्यान्वयन के जांच आधीन है। समिति यह भी चाहती है कि उसे उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाए। वर्षों से निरंतर बढ़ रहे खाद्य राजसहायता विधेयक पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम को समुचित उपाय करने चाहिए ताकि विशेषकर अच्छे शासन के लिए तथा स्टाफिंग मानदंडो हेतु केंद्र की

लेखापरीक्षा रिपोर्ट को देखते हुए संस्थापना लागत को औचित्यपूर्ण किया जाए और इसे और कम किया जा सके।"

1.15 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया:-

"सुशासन हेतु, केन्द्र द्वारा प्रस्तुत कार्यबल (स्टाफ स्ट्रैंग्थ) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों की कार्यकारी निदेशकों की समीति द्वारा अभी जांच की जा रही है।"

1.16 समिति ने अपनी मूल प्रतिवदेन में यह इच्छा व्यक्त कि थी की भारतीय खाद्य निगम, विशेष रूप से 'सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस' के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आलोक में कर्मचारी मानदंडों के संबंध में स्थापना लागत को युक्तिसंगत बनाए ताकि बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल को कम किया जा सके। विभाग ने अपनी की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सिफारिशों की अभी कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है। इसलिए, समिति ने अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराते हुए विभाग को सुझाव दिया है कि वह इस मामले पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच में तेजी लाए।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

सिफारिश (क्र. सं. 1, पैरा सं. 2.10)

2.1 समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व स्कीमों के लिए कुल बजट अनुमान 2,51,248.34 करोड़ रुपये था जिसको संशोधित चरण पर संशोधित करके 299363.35 करोड़ रुपये कर दिया गया था हालांकि, 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय 238524.73 करोड़ रुपये अर्थात संशोधित अनुमान 2021-22 का 77.28 प्रतिशत है। इसी प्रकार से, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पूंजीगत स्कीमों के लिए कुल वास्तविक अनुमान 52725.96 करोड़ रुपये है जिसको संशोधित अनुमान चरण पर कम करके 12,636.65 करोड़ रुपये किया गया था लेकिन 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय केवल 2600.39 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, राजस्व हेतु बजट अनुमान 2022-23 के लिए 213929.91 करोड़ रुपये रखा गया है अर्थात् संशोधित अनुमान 2021-22 से 28.5% कम था।

वर्ष 2022-23 के लिए, कम आवंटन हेतु विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों में पीएम-जीकेवाई के लिए निधियों का प्रावधान न करना, कुछेक सरकारी क्षेत्र स्कीमों को बंद करना, तथा कुछेक स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति शामिल हैं। हलांकि, समिति कुछ स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित निधियों का उपयोग करने में विभाग के सक्षम न होने को नोट कर व्यथित है। समिति को यह प्रतीत होता है कि अनुमानित परिव्यय अर्थात वास्तविक व्यय की अनियोजित पद्धति से उत्पन्न हुई स्थिति मालूम होती है, को इसका कारण होना मानती है। विभाग की ओर से आवंटित निधियों का कम उपयोग तथा अपर्याप्त निगरानी न केवल आरंभिक चरण को दर्शाता है बल्कि समुचित आयोजना की कमी को भी दर्शाता है। अतः समिति विभाग से यह अनुरोध करती है कि वह निधियों के समुचित तथा सही उपयोग के लिए बढ़ाई गई निगरानी के साथ व्यय हेतु बढ़ रही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी बनाए।

सरकार का उत्तर

2.2 समिति की टिप्पणियों में दर्शाए गए व्यय का आंकड़ा दिनांक 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार है। तथापि, दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 251248.34 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 299363.35 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में राजस्व खंड के अंतर्गत 301730.61 करोड़

रुपये का वास्तविक व्यय किया गया। इसी प्रकार, दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 52725.96 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 12636.65 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में पूंजीगत खंड के अंतर्गत 2630.40 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय किया गया।

अतः, यह देखा जा सकता है कि वित वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व खंड के अंतर्गत किया गया व्यय बजट अनुमान/संशोधित अनुमान से अधिक है। जहां तक पूंजीगत खंड के अंतर्गत व्यय में कमी का संबंध है, यह मुख्यत: बजट अनुमान में 50000 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान में 10000 करोड़ रुपये के आबंटन के प्रति अर्थोपाय अग्रिम के रूप में शून्य राशि जारी करने के कारण था। यह अग्रिम भारतीय खाद्य निगम को उनके नकदी प्रवाह की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम को उसी वित्त वर्ष में इसका पुनर्भुगतान करना होता है। यह अग्रिम बजट तटस्थ है और इस स्कीम के अंतर्गत कोई वास्तविक बचत नहीं हुई थी।

संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 (डब्ल्यूएमए के अलावा) में 2636.65 करोड़ रुपये के शेष प्रावधान में से, 2630.40 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था जिससे केवल 6.25 करोड़ रुपये की राशि शेष रह गई थी जो संशोधित अनुमान 2021-22 के 0.24% अर्थात 1% से कम है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि विभाग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून 2022

सिफारिश (क्र. सं. 2, पैरा सं. 2.12)

2.3 समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित हैं कि वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व स्कीम जिसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता जिससे अंतर्राज्यीय आवाजाही पर होने वाला व्यय, खाद्यानों की संभलाई - एनएफएसए अनुदान के अंतर्गत एफपीएस डीलरों के लाभ को पूरा किया जाता है यह बजट अनुमान पर 4000 करोड़ रुपये था जिसको संशोधित अनुमान चरण पर बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय मात्र 3602.22 करोड़ रुपये ही रहा था। समिति 2022-23 के 6572 करोड़ रुपए के बजट अनुमान जिसे बढ़ाया गया था के कारणों को समझ पाने में असमर्थ है जबकि संशोधित अनुमान पर यह वर्ष 2021-22 में 6000 करोड़ रुपये था और जिसका पूरा उपयोग भी नहीं हो

पाया था। समिति को यह बताया गया है कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार खाद्यानों का आवंटन कर रही है जिसे मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, अंतर्राज्यीय आवाजाही खाद्यान्नों की संभलाई तथा उचित दर की दुकानों के डीलरों का मार्जिन, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस व्यय को पूरा करने के लिए, बजट अनुमान 2022-23 में अधिक निधि मांगी गई है। इस वजह से विभाग द्वारा समिति को दिए गए उत्तर से समिति पूरी तरह से सहमत नहीं है। तथापि, समितियां नोट करने को विवश है की वास्तविक अनुमान/संशोधित अनुमान/वास्तविक अनुमान चरणों पर निधियों का ऊपरी और/निचली ओर अंतर को दर्शाता है कि विभाग की ओर से समुचित आयोजना की कमी जो दिखाई गई है से भविष्य में बचा जाए। इस तथ्य को देखते हुए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है ताकि वह अंतर्राज्यीय आवाजाही खादानों की संभलाई पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता को सुनिश्चित करें। समिति विभाग से पुरज़ोर रूप से अनुरोध करती है कि वह स्वतः आरंभिक चरण पर निधियों के व्यय की सख्ती से निगरानी करें ताकि आवंटित निधियों की वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतः ही समुचित रूप से निगरानी करें। इस को प्राप्त करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक वास्तविक और कारगर कार्य योजना तैयार करे ताकि ऐसी धनराशि को पूरे वर्ष समान रूप से उपयोग कर सके।

सरकार का उत्तर

2.4 वर्ष 2021-22 के दौरान "एनएफएसए के तहत राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन, हैंडलिंग तथा उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता" संबंधी स्कीम के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 6000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 6000 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय किया गया था। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि इस स्कीम के अंतर्गत बजट अनुमान से अधिक व्यय किया गया है और संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों का पूर्ण उपयोग किया गया है।

वित्त वर्ष 2021- 22 के दौरान विभाग ने उचित योजना और समय-सीमा के अनुसार व्यय किया है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक स्तर से ही निधियों के व्यय की सख्त मानीटरिंग की जाती है। इसके लिए, पहले से ही एक मासिक व्यय योजना (एमईपी) तैयार की जाती है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों में साप्ताहिक व्यय विवरणी की मानीटरिंग की जाती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिशों को पहले से ही संकलित किया जा रहा है। तथापि, चूक, यदि कोई हो, का विधिवत ध्यान रखा जाएगा।

"एनएफएसए के तहत राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन तथा उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर किए गए व्यय के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता" स्कीम के तहत बजट अनुमान (वर्ष 2021- 22) स्तर पर 4000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 6000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटित संपूर्ण निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजेकेएवाई) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जा रहे खाद्यान्नों के आबंटन को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (वर्ष 2022-23) में 6572 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजेकेएवाई) के अंतर्गत राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन और हैंडलिंग पर होने वाले संपूर्ण व्यय को केन्द्र सरकार द्वारा किया वहन जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 3, पैरा सं. 3.7)

2.5 समिति को यह नोट कर खेद है कि योजना प्रारंभ होने के 24 वर्षों के बाद और समिति द्वारा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विकेंद्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी) अपनाने के लिए तैयार करने हेतु ठोस कदम उठाने की बार-बार सिफारिश करने के बावजूद गेहूं के लिए योजना को केवल 9 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तथा चावल के लिए 16 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। यह देखते हुए कि डीसीपी योजना के तहत खाद्यान्नों की खरीद अधिक प्रभावी है क्योंकि गैर-विकेंद्रीकृत खरीद में एफसीआई का एक अतिरिक्त हैंडलिंग लेनदेन शामिल है जिसमें उसे खाद्यान्नों का स्टॉक लेना और उन्हें राज्य सरकार को जारी करना होता है, समिति इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि शेष राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को भी डीसीपी योजना जल्द से जल्द अपनानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डीसीपी योजना को अपनाना और भी आवश्यक है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को शेष राज्यों को इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए और योजना के कार्यान्वयन में उनकी

समस्याओं, यदि कोई हो, का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकतम संभव सहायता दी जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.6 यह सूचित किया जाता है कि डीसीपी पद्धति को अपनाने हेतु निधियां, भंडारण स्थान, गनी, मानवशक्ति आदि की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है जिससे कभी-कभी इसे अपनाने में दुविधा हो सकती है। ऐसे राज्यों की समस्याओं का समाधान करके उन्हें डीसीपी पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियमित प्रयास किए जाते हैं। अभी तक, 16 राज्यों ने चावल के लिए और 9 राज्यों ने गेहूं के लिए डीसीपी पद्धति को अपनाया है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य (जिसने 9 जिलों के लिए इसे आंशिक रूप से अपनाया है) को डीसीपी पद्धति के तहत खरीद प्रचालन को कार्यान्वित करने का परामर्श दिया गया है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य सरकार को भी गैर-डीसीपी खरीद प्रणाली के स्थान पर डीसीपी प्रणाली को अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस प्रयोजनार्थ भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कहा है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 5, पैरा सं. 3.15)

2.7 समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य राज्य सहायता के बारे में - निधियों का आवंटन 290573.11 करोड़ रुपए है लेकिन दिनांक 11.02.2022 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय केवल 220445.61 करोड़ रुपए अर्थात आवंटन का 76% है। हालांकि, समिति वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य राजसहायता पर ब्याज में कमी के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना करती है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि यह अभी भी काफी अधिक है इसमें और अधिक कटौती करने की अभी भी संभावना है। समिति मंत्रालय से यह अनुरोध करती है कि मंत्रालय को बैकअप योजना तैयार कर भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी की अनुचित परिस्थितियों का निराकरण कर के लाभार्थियों की मांग के साथ समझौता किए बिना उसे अनुकूल बनाएं।

सरकार का उत्तर

2.8 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खाद्य राजसहायता से संबंधित बिल में कटौती करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पर्याप्त राजसहायता जारी किए जाने से ब्याज के भाग में महत्वपूर्ण कमी आई है और इससे खाद्यान्नों की आर्थिक लागत भी कम हुई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बार-बार अवलोकन करने के बाद, बैंकों ने भारतीय खाद्य निगम पर प्रभारित ब्याज दर को 7.74% से 6.68% तक और डीसीपी राज्यों पर प्रभारित ब्याज दर को 8.74% से 7.28% तक युक्तिसंगत कर दिया है। सोसाइटियों/आढ़तियों को कमीशन सहित अन्य प्रासंगिक व्यय को एमएसपी से डी-लिंक कर दिया गया है जिससे खाद्य राजसहायता बिल और बेहतर बन गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 7, पैरा सं. 3.27)

2.9 समिति नोट करती है कि 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आपूर्ति चेन प्रबंधन कंप्यूटरीकरण कार्यान्वित किया गया है तथा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का कंप्यूटरीकरण का कार्य अभी भी चल रहा है। क्रियाकलाप चंडीगढ़**,** लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में लागू नहीं है क्योंकि ये तीनों प्रत्यक्ष अंतरण स्कीम **(**डीबीटी**)** के अंतर्गत आते हैं। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्यूटरीकरण में विलंब के कारणों का पता लगाए तथा शेष पूर्वोत्तर राज्यों में निर्धारित समयावधि के भीतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करें।

सरकार का उत्तर

2.10 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण को 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और यह गतिविधि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में मुख्यतः दुर्गम भू-भाग, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, सीमित आईटी अवसंरचना आदि के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कार्यान्वयन अभी पूरा किया जाना है। दोनों राज्यों को एनआईसी मुख्यालय द्वारा विकसित आपूर्ति श्रृंखला एप्लीकेशन (एफईएएसटी) को अपनाने की सलाह दी गई है ताकि सभी डिपुओं में इस एप्लीकेशन को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सके। इस संबंध में, राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआईसी मुख्यालय ने एफईएएसटी एप्लीकेशन में कस्टामाईजेशन और आवश्यक परिवर्तन किए हैं। एनआईसी मुख्यालय द्वारा संबंधित कार्मिकों और फील्ड स्टाफ को

आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 8, पैरा सं. 3.34)

2.11 समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी ने पूरे देश को अनेकों तरीकों से प्रभावित किया है। इसका प्रभाव खाद्य सुपुर्दगी प्रणाली पर पड़ा है जिससे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिणाम लोगों के जीवन तथा उनकी जीविका पर पड़े हैं, विशेषकर समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ा है। समिति सरकार की प्रशंसा करती है कि उसने कोविड-19 के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्दुनिया अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी स्कीम शुरू की थी जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई), और प्राथमिकता वाले घर (पीएचएच) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों के लिए केंद्रीय पूल से पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निशुल्क खाद्यानों के अतिरिक्त आवंटन के लिए जिसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 19 माह की कुल अवधि के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत जो लोग शामिल हैं। तथापि समिति यह पाती है कि विभाग ने लाभार्थियों के जीवन पर स्कीम के पूंजीगत परिव्यय तथा व्यय तथा उनके अंतिम नतीजों के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया है और न ही कराया जाना प्रस्तावित है। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह एक उद्देश्यपरक आकलन कराए ताकि यह पता लगाया जा सके की स्कीम ने किस सीमा तक लाभार्थियों की मदद की है तथा और कितने समय तक इसको और चलाए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

2.12 एनएफएसए (चरण-2, 2020-23) के समवर्ती मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने मॉनीटरिंग संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित सरकारी/अनुसंधान संस्थानों को नियुक्त किया है ताकि इसके साथ-साथ सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत खाद्यान्नों के वितरण का मूल्यांकन भी किया जा सके। फिलहाल, प्रथम वर्ष (2020-21) के लिए समवर्ती मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और मॉनीटरिंग

संस्थान निर्दिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कार्य कर रहे हैं। अभी तक विभाग को 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परिणाम प्राप्त हो गए हैं। समवर्ती मूल्यांकन के परिणाम दर्शाते हैं कि पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत अधिकतर लाभार्थियों को उनकी मासिक पात्रता के अनुसार ही खाद्यान्नों की सही मात्रा प्राप्त हो रही है और वे वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा से संतुष्ट हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 9, पैरा सं. 3.43)

2.13 समिति नोट करती है कि देश में खून की कमी **(**एनीमिया**)** और खून में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 174.64 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2019-20 से शुरू करके तीन वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पोषणयुक्त चावल और उसके वितरण के संबंध में केन्द्रीय प्रयोजित पायलट स्कीम को भारत सरकार ने अनुमोदित किया था। समिति को यह भी बताया गया है कि केरल**,** कर्नाटक**,** असम और पंजाब राज्यों ने पोषणयुक्त फोर्टीफाइड चावल का वितरण आरंभ नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब को क्यों फोर्टिफाइड चावल वितरण हेतु चुना गया है**,** जबकि यह तथ्य ज्ञातव्य है कि पंजाब में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल वितरित नहीं किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयोजित परियोजना के लिए राज्यों**/**जिलों का चुनाव करते समय राज्यों का चुनाव व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया है। समिति यह जानना चाहती है कि वह कौन से मानदंड हैं जिनके आधार पर इन राज्यों को 'प्रायोगिक परियोजना' के लिए चुना गया है। समिति महसूस करती है कि स्कीम आसान**,** लागत प्रभावी और इसका उद्देश्य अपने लाभार्थियों में कुपोषण और पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इशलिए समिति मंत्रालय से पूरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि वह स्कीम को पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करें ताकि कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके विशेषकर उन राज्यों में**,** जहाँ पर चावल मुख्य आहार है। समिति मंत्रालय को यह सुझाव भी देती है कि समस्त राज्यों में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की स्कीम को कार्यान्वित करने की तैयारी करते समय जो राज्य चावल के विकेन्द्रीकृत प्रापण को चुनते हैं को पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इस कार्य हेतु अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं को विकसित करे।

सरकार का उत्तर

2.14 पंजाब, चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में से एक है। तथापि, पंजाब में पीडीएस के तहत चावल का वितरण नहीं किया जाता है। चावल के संबंध में पंजाब एक अधिशेष राज्य है, इसलिए देशभर में कमी वाले अधिकतर राज्यों को पंजाब द्वारा चावल की आपूर्ति की जाती है। इसलिए, जब राज्य ने इस स्कीम के लिए विकल्प का चयन किया था, तो पंजाब को भी पायलट योजना में अनुमति देना उचित प्रतीत हुआ था, जो राज्य के साथ-साथ देश में भी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए इको-सिस्टम तैयार करने में सहायक हो सकेगा। इस कदम ने इको-सिस्टम में वृद्धि करने और उसे समेकित/सुदृढ़ करने में सहायता की है, जिससे कमी वाले राज्यों में इस स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसी द्वारा फोर्टिफाइड चावल की खरीद को सुगम बनाया जा सका है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से कवर करते हुए एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और पीएम पोषण सहित समग्र लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को अनुमोदित किया है। इस पहल के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित 3 चरणों पर विचार किया जा रहा है:-

- चरण-1: मार्च, 2022 तक समस्त भारत को आईसीडीएस और पीएम पोषण से कवर करना (संपूर्ण)।
- चरण-2: उपर्युक्त चरण-। के साथ-साथ आकांक्षी और 'स्टंटिंग' के अधिक बोझ वाले सभी जिलों (कुल 291 जिले) में मार्च, 2023 तक टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस।
- चरण-3: उपर्युक्त चरण-2 के साथ-साथ मार्च, 2024 तक देश के शेष जिलों को कवर करना।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 12, पैरा सं. 4.15)

2.15 समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के बारे में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 मीट्रिक टन थे, लेकिन 20000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को 08.02.2022 तक अर्थात 66.6% प्राप्त कर लिया गया है। वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण 25 करोड़ रुपये था परंतु 08.02.2020 तक उपलब्धि 14.28 करोड़ रुपए अर्थात 57% बैठती है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 26220 मीट्रिक टन था, परंतु इसकी उपलब्धि शून्य थी। वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कम प्रगति के बताए गए कारण, कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, राज्य सरकारे पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में भूमि पार्सलों की समय पर सुपुर्दगी में सक्षम नहीं है, कठोर मौसम, स्थानीय हस्तक्षेप तथा कानून व्यवस्था तथा कठिन भौगोलिक भूभाग अन्य कारण है। समिति को विश्वास है कि भंडारण की जगह की अपर्याप्तता पूर्वोत्तर के राज्यों में दक्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से यह अलाभकारी स्थिती में ढकेल देते हैं।

इसलिए, समिति पुरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि अब जब कोविड-19 महामारी की स्थिति काफी ठीक हो गई है, भारतीय खाद्य निगम को गोदामों का निर्माण विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर से इतर को प्राथमिकता के आधार पर करने के प्रयास बढ़ाने चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचे।

सरकार का उत्तर

2.16 समिति के निर्देशों को नोट कर लिया गया है और कोविड-19 के दिशानिर्देशों में छूट के बाद इसे संकलित किया जा रहा है। सइरांग (10,000 टन), कोकराझार (15000 टन) और आलो (1670 टन) में निर्माण कार्य में तेजी आई है और आलो, तमेंगलोंग, बाघमारा में अगले कुछ माह में निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। सिलचर (बेहारा) में भू-खंड से संबंधित मुद्दे पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है तथा अपेक्षित बजट के साथ संबंधित मंडल कार्यालय और क्षेत्रों को सभी आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया गया है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं एक माह में पूरी की जाएं। समानांतर रूप से, भारतीय खाद्य निगम ने गोदाम के निर्माण हेतु अनुमान तैयार और प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया है।

दूसरी ओर, मई 2022 में पालमपुर में निर्माणाधीन कार्य अब पूरा कर लिया गया है तथा रिकांग-पिओ और मंडी की शेष दो परियोजनाएं भी सितम्बर, 2022 तक अथवा इससे पहले पूरी होने की संभावना है।

इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि निर्माण कार्य को लक्ष्यों के अनुरूप पूरा किया जा सके।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 13, पैरा सं. 4.21)

2.17 समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान मार्गस्थ हानिया क्रमशः 257.92 करोड़, 426.85 करोड़ और 295.65 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2021) तक थी। गत वर्ष कीमतों को देखते हुए, मार्गस्थ हानियां 2021-22 के दौरान, दिसंबर, 2021 तक, यह कम होकर 295.65 करोड़ रुपये हो गई थी। हालांकि यह वर्ष 2019-20 की तुलना में 257.92 करोड़ रुपये है जो अभी भी ज्यादा है। समिति महसूस करती है कि ये हानि अभी भी अधिक है इनमें और अधिक कमी करने की जरूरत है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, मुख्यालय सतर्कता दस्तों द्वारा की गई नियमित/औचक जांचों की कुल संख्या क्रमश: 76, 31 और 58 है जो संख्या काफी कम है। जुड़ें मार्गस्थ कार्य की उदारता को देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा औचक निरीक्षण की संख्या तथा को बढ़ाने की जरूरत है। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि भारतीय खाद्य निगम को अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम की हानि कम हो।

सरकार का उत्तर

2.18 पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्गस्थ हानियां निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	भेजी गई मात्रा	हानि की मात्रा	हानि का प्रतिशत	हानि का मूल्य
2019-20*	409.64	0.94	0.23	257.92
2020-21*	618.74	1.49	0.24	426.85
2021-22#	604.32	1.40	0.23	398.22

(*लेखापरीक्षित आंकड़े दर्शाता है, # अनंतिम आंकड़े दर्शाता है)

उपर्युक्त डाटा से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान मार्गस्थ हानि के प्रतिशत में कमी आई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, संपूर्ण मात्रा में नुकसान की मात्रा और मूल्य में वृद्धि हुई है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीम के तहत जरूरत होने के कारण वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने लगभग से अधिक के स्टॉक का संचलन किया है। यद्यपि मौद्रिक रूप में मूल्य में वृद्धि हुई है, प्रतिशतता के रूप में यह लगभग समान रही है। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान हानि का पता लगाने के लिए लागू की गई अधिकतम दरों के कारण मूल्य में वृद्धि हुई है।

मार्गस्थ हानि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्वयं की कार्य-पद्धतियां और प्रयास

I. मार्गस्थ हानि/गंतव्य स्थानों में कमी की समीक्षा

i) प्रत्येक मासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर विशेष समीक्षा बैठकों में मार्गस्थ हानि की अंचल-वार/क्षेत्र-वार/जिला-वार/डिपो-वार प्रवृत्ति की समीक्षा की जा रही है:-

क्र. सं.	पर समीक्षा की गई	समीक्षा का स्तर	एमपीआर आवृत्ति
1	मुख्यालय	अंचल/क्षेत्र	मासिक
2	अंचल	क्षेत्र/ जिला कार्यालय	
3	क्षेत्रीय	जिला कार्यालय/ डिपो	
4	जिला	डिपो	

ii) मार्गस्थ हानि के 0.75% से अधिक के सभी मामलों की मासिक आधार पर जांच करने के लिए अनिवार्य संयुक्त जांच (जेवी) दलों तैनाती की जा रही है।

iii) रेकों के लदान और उठान के समय स्वतंत्र माल प्रमाणन दस्तों को तैनात किया जा रहा है।

iv) लदान और उठान स्टेशनों, दोनों स्तरों पर, विभिन्न औचक जांच करने की व्यवस्था की जाती है।

II. नियमित निरीक्षण/जांच की बढ़ी हुई आवृत्ति

i) अंचल और क्षेत्र की अधिकतम मार्गस्थ हानि/गंतव्य स्थानों में कमी की जांच क्रमशः कार्यकारी निदेशक (अंचल) और प्रबंध निदेशक (क्षेत्र) द्वारा की जा रही है। यदि किसी क्षेत्र की अधिकतम

मार्गस्थ हानि की जांच कार्यकारी निदेशक (अंचल) द्वारा की जाती है तो क्षेत्र की दूसरी अधिकतम मार्गस्थ हानि की जांच संबंधित महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा की जाएगी।

ii) अंचल के महाप्रबंधक (एसएल/टीएल)/उप महाप्रबंधक (एसएल-टीएल) विभिन्न क्षेत्रों के 3 मामलों की जांच कर रहे हैं और मार्गस्थ हानि की अधिकतम प्रवृत्ति रिपोर्ट करने वाले 3 रेकों के लदान/ उठान का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

iii) अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और जिला कार्यालय स्तर द्वारा की जा रही मासिक जांच और रेक की पुनरीक्षा का रेक पर्यवेक्षण की रूप निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**संचालन**	**टीएल जाँच की संख्या**	**लदान/उठान के दौरान पर्यवेक्षण किए गए रेक की संख्या**
1.	कार्यकारी अधीक्षक (अंचल)	1x5 = 5	
2	महाप्रबंधक (क्षेत्र)*	1x24 = 24	
1	अंचल स्तर पर महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक	3x5 = 15	3x5=15
2	क्षेत्रीय कार्यालय	श्रेणी-1 के अधिकारी द्वारा अधिकतम 5 से 10 डिपो टीएल	रेक का 10% **(**क्षेत्रीय कार्यालय के स्क्वाड द्वारा**)**
3	क्षेत्रीय कार्यालय के जिला प्रबंधक/ सहायक महाप्रबंधक (क्यूसी)/ श्रेणी-1 अधिकारी		रेक का 20% **(**यदि डिपो का आरटीएल **>0.50%** हो**)** रेक का 10% **(**यदि डिपो का आरटीएल **>0.50%** हो**)**

(* कुल 26 क्षेत्र हैं जिनमें से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के पास आरटीएल नहीं है)

iv) जम्मू-कश्मीर, एनईएफ, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों, जहां से हानि की अधिक घटनाओं की सूचना रिपोर्ट की गई थी, में भी मोबाइल स्क्वाड तैनात किए गए हैं।

III. प्रशासनिक / अनुशासनात्मक कार्रवाई

i) 0.75% से अधिक मार्गस्थ हानियों (टीएल) के लिए संयुक्त सत्यापन किया जा रहा है और जेवी (संयुक्त सत्यापन) के बाद, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

ii) स्टाफ, ठेकेदार और राज्य एजेंसियों पर 33.54 करोड़ रुपये (अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक) की वसूली अधिरोपित की गई है, जिसमें से 14.10 करोड़ रुपए मार्गस्थ हानि से संबंधित हैं।

iii) वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 (दिसंबर'21 तक) के दौरान क्रमश: 227 और 343 कर्मचारियों के विरुद्ध रेल ट्रांजिट से संबंधित दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

iv) जहां कहीं भी डिपो से लगातार छह महीने तक अधिक रेल मार्गस्थ हानि (आरटीएल) रिपोर्ट प्राप्त होती है, वहां डिपो कर्मचारी को चक्रानुसार (रोटेशन) तैनात जा रहा है।

IV. प्रणालीगत परिवर्तन

i) डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस) के माध्यम से खाद्यान्नों के समस्त संचलन की रियल टाइम आधार पर निगरानी की जा रही है।

ii) बिखरे हुए अनाज को पुनः इकट्ठा करने के लिए रेलवे वैगन के तल पर पॉलीथीन शीट बिछाई जा रही हैं।

iii) डिपुओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

iv) उच्च सुरक्षा सील का परीक्षण करके छ: जिलों में एक प्रयोग किया जा रहा है ताकि मार्ग में चोरी को रोका जा सके। इसके अलावा, रेलहैड के अनुसार तैयार किए गए बैगों की सही प्रकार से गणना की जा सके। इस परीक्षण के समाप्त होने और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इसमें और सुधार करने के लिए इसे दोहराया जाएगा।

v) मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी सुदृढ़ बनाने हेतु संशोधित किया जा रहा है ताकि दोषियों की जवाबदेही तय की जा सके।

V. भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, सतर्कता प्रभाग द्वारा नियमित/ औचक जांच की जा रही है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान, मुख्यालय सतर्कता स्क्वाड द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	सतर्कता दस्ता, मुख्यालय, द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या
2019-20	76
2020-21	31
2021-22	69

वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान, देशभर में व्याप्त महामारी की स्थिति के कारण, इस अवधि में भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय से कम स्कवाड को तैनात किया गया था। तथापि, प्रभावी मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित निरीक्षण फील्ड स्तर पर किए जा रहे थे।

VI. क्षतिग्रस्त खाद्यान्न - जांच और जवाबदेही तय करना

प्रत्येक क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की प्रक्रियानुसार जांच की जाती है और दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाती है। जिला वर्गीकरण समिति (डीसीसी) और क्षेत्रीय वर्गीकरण समिति (आरसीसी) की जांच के दौरान भी इनकी समीक्षात्मक जांच की जाती है।

मार्गस्थ हानि के कारण

चूंकि देश के अलग-अलग स्थानों में खाद्यान्नों के उत्पादन, खरीद और खपत में भिन्नता है, इसलिए खरीद वाले क्षेत्रों में अधिशेष स्टॉक को कम खपत वाले क्षेत्रों में अपरिहार्य रूप से भेजना होता है। एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खरीदे गए खाद्यान्नों को मुख्यत: रेल द्वारा वितरित करने के लिए भेजा जाता है। रेल द्वारा खाद्यान्नों के संचलन के दौरान मार्गस्थ हानि के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं:-

- ट्रांजिट के दौरान खाद्यान्नों में नमी की कमी होना – जब रेकों का संचलन किया जाता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 7 से 8 दिन का समय लग जाता है और ट्रांजिट के दौरन गर्म मौसम के कारण, स्टॉक सूख जाते हैं और खाद्यान्न काफी अधिक सूखने लगते हैं।

- डिस्पैच और रिसीप्ट प्वाइंट्स के बीच वज़न में अंतर - जब एक डिपो से स्टॉक को संचालित किया जाता है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉनिक लॉरी तोलसेतु (वेब्रिज) पर इसका वजन किया जाता है। लॉरी वेब्रिज (एलडब्ल्यूबी) पर ± 5 कि.ग्रा. की मानक चूक हो सकती है। वहन क्षमता के अनुसार, लगभग 200 से 400 ट्रकों में 74000 बोरियों के रेक भेजे जाते हैं और प्रत्येक समय (डिस्पैचिंग और रिसीविंग) इन ट्रकों का दो बार वजन किया जाता है ताकि वज़न के साथ-साथ सकल वज़न का भी ध्यान रखा जा सके। मापन के दौरान 5 कि.ग्रा. के घट-बढ़ (±) के अंतर का पता नहीं लगाया जा सकता है।

- ट्रांजिट के दौरान गर्म मौसम के कारण गनी की नमी में कमी होने की वजह से गनी का भार कम हो जाता है।
- लदान/उठान प्रचालनों के दौरान विविध प्रकार से हैंडलिंग।
- हैंडलिंग के दौरान मजदूरों द्वारा हुक का उपयोग करना।
- गनी बैग आदि की घटिया बनावट आदि।

उपर्युक्त कारकों की वजह से, ट्रांजिट के दौरान कुछ नुकसान होने से बचा नहीं जा सकता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के निरंतर प्रयासों से, मार्गस्थ हानि नियंत्रित की जाती है और वर्ष 2021-22 (अनंतिम) अर्थात पिछले वर्ष के दौरान उसे कम से कम 0.23% के न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है। यह अभी तक का न्यूनतम स्तर है और पूर्व की प्रवृत्ति के अनुसार लेखापरीक्षा के बाद इसमें और कमी हो जाएगी। पिछले 10 वर्षों की मार्गस्थ हानि का डाटा नीचे उल्लिखित किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि मार्गस्थ हानि में महत्वपूर्ण कमी आई है:-

(मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	भेजी गई मात्रा	हानि की मात्रा	हानि का प्रतिशत	हानि का मूल्य
2012-13*	448.02	2.12	0.47	388.18
2013-14*	527.85	2.43	0.46	475.99
2014-15*	533.74	2.30	0.43	506.44
2015-16*	437.36	1.30	0.30	298.86
2016-17*	438.09	1.32	0.30	313.90
2017-18*	456.72	1.12	0.25	286.40
2018-19*	415.00	1.03	0.25	276.85
2019-20*	409.64	0.94	0.23	257.92
2020-21*	618.74	1.49	0.24	426.85
2021-22#	604.32	1.40	0.23	398.22

(*लेखापरीक्षित आंकड़े दर्शाता है, # अनंतिम आंकड़े दर्शाता है)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

सिफारिश (क्र. सं. 14, पैरा सं. 4.26)

2.19 समिति खाद्यान्नों के बल्क भंडारण का एक उच्च मशीनीकृत तथा वैज्ञानिक तरीके की बल्क संभलाई सुविधाओं के साथ स्टील साइलोज भंडारण को नोट करती है। ये खाद्यान्नों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं और उनके शेल्फ जीवन में बढ़ोतरी करती है। समिति यह भी महसूस करती है कि यदि सिलो भंडारण को अंगीकृत किया जाता है तो इससे भंडारण, मार्गस्थ हानि तथा चोरी से होने वाली हानि पारम्परिक गोदामों/वेयर हाउसों में भंडारण की तुलना में कम होगी। साईलोज (मिनारनुमा ढांचा) का संचालन चौबीसों घंटे किया जा सकता है इसलिए इससे समग्र दक्षता में सुधार होगा। समिति को लगता है कि देश भर में प्रापण और खपत स्थलों के समीप छोटे आकार के साईलोज लगाने से भारतीय खाद्य निगम की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी क्योंकि इससे अनेकां स्थलों से संचालन से बचने में मदद मिलेगी। समिति को यह भी बताया गया है कि 111-125 एलएमटी गेहूं साईलोज का निर्माण कार्य प्रस्तावित था तथा इसका निर्माण कार्य तीन चरणों में होना था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभाग को मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु चरण-एक के दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं। समिति प्रस्ताव की स्थिति से अवगत होना चाहती है। इसके अलावा, समिति मंत्रालय से पुरजोर रूप से सिफारिश करती है वह पूरे देश में नियोजित तरीके से हब और स्पोक मॉडल के बारे में साईलोज के नेटवर्क को सृजित करे। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि ये साईलोज समस्त राज्यों में एक समान रूप से लगाए जाने चाहिए तथा साईलोज को लगाने के स्थलों की पूरी तरह से पहचान भी करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.20 मुख्यतया रेलवे साइडिंग साइलोज के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि 24 स्थानों पर 12.25 लाख टन की कुल क्षमता का निर्माण कर लिया गया है/उपयोग किया जा रहा है और 33 स्थानों पर 16.50 लाख टन क्षमता की परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है। एजेंसीवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

आंकडे लाख टन में/स्थानों की संख्या

एजेंसी	**लक्ष्य**	**पूरी की गई क्षमता/ वर्ष 2016 के बाद स्थानों की संख्या**		**कार्यान्वयन के आधीन**		**कुल**
				निर्माणाधीन	**एलओसी जारी की जानी है**	
एफसीआई	29	6.25/12	10.00/20	5.00/10	15.00/30	21.25/42

सीडब्ल्यूसी	2.5	0	0	0	0	0
राज्य सरकार	68.5	6/12	0	1.5/3	1.5/3	7.5/15
कुल	100	12.25/24	10.0/20	6.5/13	16.50/33	28.75/57

वर्ष 2020-21 और वर्ष 21-22 में पूरे किए साइलो की सूची निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**स्थान**	**क्षमता (लाख टन में)**	**टिप्पणियां (पूर्ण किए जाने का वर्ष)**
1	संगरूर	1.00	20-21
2	कटिहार	0.5	21-22
3	अहमदाबाद	0.5	21-22
4	जींद	0.5	21-22
5	सोनीपत	0.5	21-22
6	भट्टू	0.5	21-22
7	चांगसारी	0.5	21-22
	कुल	4.00	

आरएमएस 22-23 के दौरान एयूबी आधार पर निर्मित किए गए साइलो:

क्र.सं.	**स्थान**	**राज्य**	**क्षमता (लाख टन में)**
1	कन्नौज	उत्तर प्रदेश	0.50
2	पानीपत	हरियाणा	0.50
			1.00

वर्ष 22-23 के दौरान पूरा होने वाले संभावित साइलो:

क्र.सं.	**स्थान**	**राज्य**	**क्षमता (टन में)**	**निर्माण पूरा होने की संभावना**
1	धमोरा	उत्तर प्रदेश	0.50	जून'22
2	बाटला	पंजाब	0.50	अगस्त'22
3	छेहरेटा	पंजाब	0.50	जुलाई'22
4	रोहतक	हरियाणा	0.25	सितम्बर'22
5	कैमूर	बिहार	0.50	नवम्बर'22
6	बक्सर	बक्सर	0.50	नवम्बर'22
कुल	2.75			

हब और स्पोक मॉडल: भारतीय खाद्य निगम ने हब और स्पोक मॉडल के तहत 111.125 लाख टन क्षमता वाले कुल 249 स्थानों की पहचान की है और तदुपरांत मंत्रालय के अंतिम अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की है। हब और स्पोक के तहत साइलो का निर्माण 3 चरणों में – अर्थात् चरण-I में 30%, चरण-

II में अगला 30% और चरण-III में शेष 40% – शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 34.87 लाख टन की क्षमता के लिए 80 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। चरण-I के प्रस्ताव के संबंध में मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

यह सूचित किया जाता है कि 14 स्थानों पर 10.125 लाख टन क्षमता के लिए डीबीएफओटी पद्धति के लिए चरण-I के संबंध में बोली दस्तावेजों को दिनांक 25.04.2022 के पत्र के माध्यम से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है और तद्नुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 26.04.2022 को निविदा जारी कर दी गई है तथा बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक 13.06.2022 है। हाल ही में डीबीएफओओ पद्धति के लिए 66 स्थानों पर 24.75 लाख टन दिनांक 13.05.2022 को पीपीपीएसी की बैठक आयोजित की गई है और तदुपरांत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 27.05.2022 को संशोधित बोली दस्तावेज अनुमोदन हेतु भेजा गया है जो वित्त मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विचाराधीन है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 16, पैरा सं. 5.18)

2.21 समिति नोट करती है कि सरकार अतिरिक्त चीनी को डायवर्ट करके इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर 01.04.2019 पूरे देश में ईबीपी का विस्तार किया गया है। इस जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2022 तक ईबीपी के तहत मिश्रण लक्ष्य को 5% से बढ़ाकर 10% और 2025 तक 20% कर दिया है। सरकार ने बी-भारी शीरा, गन्ने के रस, चीनी सिरप और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है। समिति को यह भी बताया गया है कि वर्ष 2017-18 से चीनी का उत्पादन सरप्लस में हो रहा है और यह देश में मांग की तुलना में काफी अधिक है। चीनी का अतिरिक्त स्टॉक चीनी की कीमतों को कम कर रहा है जिससे चीनी मिलों की चल निधि की स्थिति प्रभावित हो रही है। जैसे, चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने गन्ने के रस, बी-हाई शीरा, चीनी और चीनी सिरप से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है और सी-हेवी @ 46.66 रुपए प्रति लीटर से प्राप्त निकाले गए इथेनॉल का लाभकारी एक्स-मिल मूल्य निर्धारित किया है।, बी-हैवी शीरा/आंशिक गन्ने का रस @ 59.08/लीटर, 100% गन्ने का रस/सिरप/चीनी @ 63.45 रुपये प्रति लीटर और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न/मक्का 52.92 रुपए प्रति लीटर चीनी मिलों की चल नीति में सुधार करने के लिए, ताकि वे अपना

गन्ना बकाया चुका सकें। समिति इथेनॉल सम्मिश्रण की दिशा में सरकार के बहुमुखी प्रयासों की सराहना करते हुए, विभाग को चीनी मिलों के लिए चीनी के कुछ हिस्से को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए चीनी का उच्च उत्पादन करने के अनिवार्य बनाने के बारे में सोचने की जोरदार सिफारिश की है इस कदम से न केवल राजस्व उत्पन्न होगा जिसके बल्कि गन्ना मूल्य बकाया भी कम होगा अंततः रोजगार भी पैदा होगा।

सरकार का उत्तर

2.22 सरकार अधिशेष गन्ने को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए मिलों को प्रोत्साहित करने हेतु एथेनॉल मौसम के लिए सी-हैवी और बी-हैवी शीरे एवं गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप से प्राप्त एथेनॉल का लाभकारी मिल-द्वार मूल्य निश्चित करती रही है। चूंकि एथेनॉल का मूल्य लाभकारी होता है, इसलिए चीनी मिलें अपने फायदे के लिए चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित कर रही हैं। चीनी मौसम 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में लगभग 3.37 लाख टन, 9.26 लाख टन और 22 लाख टन चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान मौसम 2021-22 में, लगभग 35 लाख टन चीनी को परिवर्तित किये जाने का अनुमान है; और वर्ष 2025-26 तक लगभग 60 लाख टन चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित किये जाने का लक्ष्य है, जिससे अतिरिक्त गन्ने/चीनी की समस्या का समाधान होने की संभावना है। इसके मद्देनजर, फिलहाल एथेनॉल के परिवर्तन को अनिवार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 17, पैरा सं. 5.22)

2.23 समिति नोट करती है कि कुल 16612 करोड़ रुपए गन्ना बकाया है। यद्यपि, गन्ना मूल्य बकाया काफी कम हो गया है लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। समिति यह नोट करके हैरान है कि किसान द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने के प्रावधानों के बावजूद, यह शायद ही कभी किया जाता है। चीनी सीजन 2016-17 और उससे पहले का गन्ना मूल्य बकाया अभी भी बकाया है और गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के प्रावधानों के अनुसार 15% की दर से ब्याज सहित गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिए चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति महसूस करती है कि समय पर गन्ना बकाया का भुगतान न करना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है और किसानों को गन्ना उगाने से रोक सकता है और उन्हें अन्य फसलों को उगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। समिति

महसूस करती है कि लाभकारी कीमतों पर तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों की चल निधि में वृद्धि हुई है। इससे चीनी मिलों की ओर से किसानों का बकाया जल्द से जल्द चुकाना और भी जरूरी हो गया है। समिति महसूस करती है कि किसानों को उनकी कृषि उपज की डिलीवरी के तुरंत बाद लाभकारी मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है। इसलिए, वे विभाग को सभी बकाया को समाप्त करने और किसानों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों पर दबाव डालकर उचित उपाय करने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई कार्य योजना/विशिष्ट कदमों से अवगत होना चाहेगी।

सरकार का उत्तर

2.24 चीनी मिलों की नकदी की स्थिति को सुधारने और किसानों की गन्ना बकाया देयताओं का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करना; बफर स्टॉक बनाए रखने हेतु मिलों को सहायता प्रदान करना; बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों को सुलभ ऋण प्रदान करना ताकि गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान किया जा सके; चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करना आदि।

सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, पिछले चीनी मौसमों की लगभग 99% गन्ना देयताओं का भुगतान कर दिया गया है। चीनी मौसम 2020-21 के लिए भी, 92938 करोड़ रुपये की कुल कुल गन्ना बकाया देयताओं में से, लगभग 92446 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, केवल 492 करोड़ रुपये लंबित हैं; इस प्रकार 99% गन्ना बकाया देयताओं का भुगतान कर दिया गया है जो किसी भी चीनी मौसम में प्रतिशत-वार और राशि-वार अभी तक भुगतान की गई सर्वाधिक राशि है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

सिफारिश (क्र. सं. 18, पैरा सं. 5.23)

2.25 समिति यह भी नोट करती है कि देश में स्थापित 756 चीनी मिलों में से 506 चीनी मिलें चालू हैं और 250 चीनी इकाइयाँ वित्तीय संकट, कच्चे माल की अनुपलब्धता और अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी, आदि सहित विभिन्न कारणों से संचालित नहीं हो रही थीं। गन्ना बकाया की बड़ी बकाया राशि के साथ-साथ

न चल रही चीनी मिलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, समिति रूग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए उन्हें पूंजीगत सहायता, आसान और सस्ते ऋण आदि प्रदान करके एक व्यापक नीति तैयार करने की सिफारिश करती है, जो बदले में, अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेगा और इस प्रकार गन्ना मूल्य बकाया के तेजी से समाशोधन का मार्ग प्रशस्त करेगा। समिति का यह भी विचार है कि रुग्ण चीनी इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करते समय, ऐसी इकाइयों को आंशिक इथेनॉल उत्पादन के साथ जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कारकों का भी पता लगाया जा सकता है।

सरकार का उत्तर

2.26 केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998 में चीनी उद्योग के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब**,** उद्यमी/ सोसायटी अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार**,** निजी/सहकारी चीनी मिलों का प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब**,** सहकारी/निजी चीनी मिलों के संचालन का दायित्व संबंधित सहकारी सोसायटी/उद्यमी का है। तथापि, चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार और किसानों की गन्ना बकाया देयताओं का समय पर भुगतान करने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करना; बफर स्टॉक बनाए रखने हेतु मिलों को सहायता प्रदान करना; बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों को सुलभ ऋण प्रदान करना ताकि गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान किया जा सके; चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करना आदि।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

अध्याय तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश (क्र. सं. 15, पैरा सं. 5.7)

3.1 समिति नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2017-18 में चीनी के मौसम से, चीनी का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है। वर्ष 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान, चीनी का उत्पादन 270 एलएमटी की मांग की तुलना में 308 एलएमटी है। वर्षों से चीनी उत्पादन में वृद्धि सरकार के प्रयासों तथा गन्ने की उन्नत किस्म के कारण है। समिति आशा करती है कि गन्ने/चीनी का उत्पादन चीनी उत्पादन में चक्रीयता में कटौती के साथ् आगामी चीनी मौसम में अतिरिक्त चीनी होने की संभावना के कारण है। समिति आशा करती है कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण् करते समय, गन्ना उत्पादक किसानों के हितों पर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा, चीनी का अतिरिक्त स्टॉक चीनी की चल निधि की स्थिति प्रभावित कर रहा है। चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या पर काबू पाने के लिए, सरकार ने गन्ने से इथॉनाल का उत्पादन, बी-हैवी शीरा, चीनी और चीनी का रस चीनी जिलों की चल निधि में सुधार हो सके और वे लोग अपने गन्ने बकाया को दे सके। समिति आशा करती है कि विभाग गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाएगा तथा गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य समय से घोषित किया जा सके और आगामी वर्षों के गन्ने की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

3.2 कोई टिप्पणी नहीं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

सिफारिश (क्र. सं. 4, पैरा सं. 3.8)

4.1 समिति यह नोट करके निराश है कि यद्यपि विभाग के अनुरोध पर, नीति आयोग के अंतर्गत एक मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था ताकि वर्ष 2017 में डीसीपी स्कीम के निष्पादन मूल्यांकन को किया जा सके, तथापि अनेक अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद, आज की तिथि तक मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आर्थिक विकास संस्थान द्वारा गेहूं/धान के प्रापण के लिए भी केंद्रित प्रापण स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए इस मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए ताकि उपायुक्त मूल्यांकन कार्य पूरा हो सके और दोनों एजेंसियों को इसे देखना चाहिए ताकि इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर अपने संबंधित कार्य को पूरा किया जा सके और तदनुसार समिति को इससे अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

4.2 वर्ष 2017 में डीसीपी स्कीम के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग को अध्ययन सौंपा गया था। चूंकि, इस मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी, वर्ष 2019 में सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग को एक अ.शा. पत्र भेजा गया था, परंतु नीति आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नीति आयोग को अंतिम पत्र मार्च, 2021 में भेजा गया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि अध्ययन को पूरा करने के पश्चात इस विभाग को यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, परंतु अभी तक नीति आयोग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.7 देखें)

सिफारिश (क्र. सं. 6, पैरा सं. 3.25)

4.3 समिति नोट करती है कि देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग कुल प्रतिशतता 93.8% है। मंत्रालय ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में आधार सीडिंग की प्रगति कम होने का कारण असम और मेघालय में कम आधार बनना है। समिति इस तथ्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राशन कार्ड के साथ आधार की सीडिंग के कार्य की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा क्रमशः 60%, 47%, 28%, और 80% सीडिंग का कार्य ही अभी पूरा हुआ है। समिति पूरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सीडिंग का कार्य 100% पूरा करना चाहिए। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग के मुददे को उच्चतम स्तर पर निपटा लेना चाहिए ताकि एक राष्ट्र 'एक राशन कार्ड स्कीम'का उद्देश्य पिछड़े राज्यों में सभी प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाने के कार्य को पूरा किया जा सके और गरीब लोग सरकार की कल्याणकारी स्कीमों के निर्वाध लाभों को प्राप्त कर सके।

सरकार का उत्तर

4.4 वर्तमान में, राशन कार्डों की समस्त आधार सीडिंग (परिवार का कम से कम एक सदस्य) का राष्ट्रीय स्तर 94.4% तक पहुँच गया है। यह स्पष्ट किया गया है असम और मेघालय में राशन कार्ड की आधार सीडिंग में क्रमशः 81% और 35% का क्रमिक सुधार रिपोर्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड की आधार सीडिंग क्रमशः 60% और 80% है। तथापि, राशन कार्ड डाटाबेस में आधार सीडिंग को बढ़ाने के लिए यह विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, विभाग ने पहले ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आधार सीडिंग बढ़ाने और आधार संख्या को अधिप्रमाणित करने हेतु दिशानिर्देशों/बेहतर पद्धतियों को साझा किया है। इस मामले पर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है जो पिछड़ रहे हैं ताकि बैठकों, एडवाइज़री, पत्रों आदि के माध्यम से राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग को बढ़ाया जा सके।

विभाग के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्तमान में "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनआरसी)" योजना को कार्यान्वित किया है जिसमें लगभग 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (एनएफएसए आबादी का 96.80%) को कवर किया गया है ताकि इस विकल्प का निर्बाध रूप से उपयोग किया जा सके और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने खाद्यान्नों/लाभों को प्राप्त किया जा सके। यह विभाग असम राज्य के शेष भाग के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है जिससे अगले कुछ माह

तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की सुविधा को कार्यान्वित किया जा सके बशर्ते कि वे तकनीकी रूप से इसके लिए तैयार हों।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.10 देखें)

सिफारिश (क्र. सं. 10, पैरा सं. 4.7)

4.5 समिति चिंता के साथ नोट करती है कि भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के लिए एफसीआई द्वारा उनको प्रदान कराए गए खाद्यान्नों के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) की देय राशि बकाया है। समिति को यह बताया गया है कि 31.02.2008 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) स्कीम अर्थात जब स्कीम बंद हुई थी के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यानों के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम के भुगतान के लिए 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 2454.03 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के शिक्षा मंत्रालय (एचआरडी) पर 350.42 करोड़ रुपये (03.12.2021 की स्थिति के अनुसार) बकाया है, जबकि भारत सरकार के अफगानिस्तान को दान दिए गए 'इंडियाज डोनेशन टू अफगानिस्तान' के तहत अफगानिस्तान के लिए फोर्टिफाइड बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के लिए गेहूं जारी करने हेतु विदेश मंत्रालय पर 56.46 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। समिति महसूस करती है कि वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के बकाया देयो के वसूली की असमर्थता भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा हमेशा बढ़ती खाद्य राजसहायता का भार रहेगा। अतः समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि विभाग को अन्य मंत्रालयों के साथ उच्चतम स्तर पर मामले को नियमित रूप से उठाने के लिए उच्चतर अधिकारियों का वसूली प्रकोष्ठ गठित करके बकाया देव का निपटान करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, ताकि बकाया देय की वसूली हो, जो निश्चित तौर पर भारतीय खाद्य निगम की देयता को कम करेगी।

सरकार का उत्तर

4.6 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मामले पर संबंधित मंत्रालयों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय (मानव संसाधन विकास) और विदेश मंत्रालय के साथ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं का भुगतान किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं की समीक्षा और उसका शीघ्र भुगतान करने के लिए, संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई) की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के साथ दिनांक 04.06.2021 को वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। तदुपरांत, दिनांक 22.04.2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया गया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया जाए। तथापि, अभी इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों से जानकारी प्रतीक्षित है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून 2022

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.13 देखें)

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं

सिफारिश (क्र. सं. 11, पैरा सं. 4.10)

5.1 समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम की संस्थापना लागत जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रापण, परिवहन तथा खाद्य राजसहायता के तौर पर खाद्यान्नों के भंडारण पर खर्च हुए व्यय के साथ बहुत ज्यादा अर्थात 2430 करोड़ रुपये है जिसमें खाद्य राजसहायता के बड़े भाग के रूप में संस्थापना लागत को पूरा करने में जाती है। समिति भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना करती है ताकि इसकी जनशक्ति को औचित्यपूर्ण करके मानव संसाधन की प्रभावकारिता के अनुकूल बनाया जा सके। समिति को यह भी बताया गया है कि निगम के स्टाफिंग मानदंडो की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा की सिफारिशें कार्यान्वयन के जांच आधीन है। समिति यह भी चाहती है कि उसे उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिती से अवगत कराया जाए। वर्षों से हमेशा बढ़ रहे खाद्य राजसहायता विधेयक पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम को समुचित उपाय करने चाहिए ताकि विशेषकर अच्छे शासन के लिए तथा स्टाफिंग मानदंडो हेतु केंद्र की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को देखते हुए संस्थापना लागत को औचित्यपूर्ण किया जाए और इसे और कम किया जा सके।

सरकार का उत्तर

5.2 सुशासन हेतु, केन्द्र द्वारा प्रस्तुत कार्यबल (स्टाफ स्ट्रैंग्थ) लेखापरीक्षा रिपोर्ट की सिफारिशों की कार्यकारी निदेशकों की समीति द्वारा अभी जांच की जा रही है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय]
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
का.ज्ञा. सं. जी-20017/06/2022-एसी दिनांक 22 जून, 2022

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 1.16 देखें)

नई दिल्ली;
10 नवंबर, 2022
19 कार्तिक, 1944 (शक)

लॉकेट चटर्जी,
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

गोपनीय

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (वर्ष2022-2023) की बुधवार, 09 नवंबर, 2022 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1500 बजे से 1730 बजे तक समिति कक्ष '2', ब्लॉक 'ए', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती लॉकेट चटर्जी - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री अनिल फिरोजिया
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री मितेष (आनंद) पटेल(बकाभाई),
6. श्री सुब्रत पाठक
7. डॉ. अमर सिंह
8. श्रीमती कविता सिंह
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री राजमोहन उन्नीथन

राज्य सभा

11. श्री सतीष चंद्र दूबे
12. डॉ. फौजिया खान
13. श्री बाबू राम निषाद
14. श्री राजमणी पटेल

सचिवालय

1. श्री श्रीनिवासुलु गुंडा	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3. श्री राम लाल यादव	-	अपर निदेशक
4. डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव

xxxx xxxx xxxx

2. xxxx सभापति ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) xxxxx में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने xxxx तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया। समुचित विचार-विमर्श के पश्चात्, समिति ने बिना किसी संशोधन/आशोधन के सर्वसम्मति से प्रतिवेदन को स्वीकार किया और सभापति को इसमें मौखिक और परिणामी परिवर्तन, यदि कोई हो, तो करने और उन्हें संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

xxxx xxxx xxxx

3. xxxx xxxx xxxx

4. xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

5. xxxx xxxx xxxx

6. xxxx xxxx xxxx

xxx xxx xxx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

परिशिष्ट-II

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं. 4)

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण।

(सत्रहवीं लोक सभा)

(एक) सिफारिशों की कुल संख्या 18

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
पैरा सं. 2.10, 2.12, 3.7, 3.15, 3.27, 3.34, 3.43, 4.15, 4.21, 4.26, 5.18, 5.22 और 5.23

(अध्याय-दो, कुल-13)
प्रतिशत – 72.22%

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
पैरा सं. 5.7

(अध्याय-तीन, कुल-01)
प्रतिशत – 5.56%

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
पैरा सं. 3.8, 3.25, 4.7

(अध्याय-चार, कुल- 3)
प्रतिशत – 16.66%

(पांच) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
पैरा सं. 4.10

(अध्याय-पांच, कुल- 1)
प्रतिशत – 5.56%